

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 328/सी-26428/11/वित्त/नियम/चार,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-** प्रदेश के मंडल/आयोग/निगमों के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में।


संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.177/362/ वित्त/ नियम /चार/2008, दिनांक 19.08.2008

संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

उक्त ज्ञापन के अंतर्गत ऐसे निगम/मंडल/आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य जो ज्ञापन की परिशिष्ट में दर्शाये गये सुविधाओं की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें मंडल/आयोग/निगम इत्यादि के बैठकों में भाग लेने हेतु वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर अपने गृह नगर से बैठक स्थल तक आने-जाने के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 45/सी-18029/ वित्त/नियम/चार/2011 दिनांक 01.03.2011 में निर्धारित शासकीय सेवकों के श्रेणीकरण के अंतर्गत 'श्रेणी बी' के शासकीय अधिकारियों के समकक्ष यात्रा भत्ता एवं बैठक की तिथि के लिए यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत देय दैनिक भत्ता के स्थान पर 750 रु. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता की पात्रता होगी ।

ज्ञापन की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग